हिमाचल प्रदेश

जल शक्ति विभाग

पत्र संख्याः JSD-Thunag-WA-FCA-Kelodhar/2024/ 4041-42 दिनांक : – 03/10/2024

सेवा में,

वन मण्डलाधिकारी
नाचन वन मण्डल
गोहर जि० मण्डी (हि०प्र०)

विषय : – **Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).**

संदर्भः– **क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.**

उपरोक्त संदर्भ का अवलोकन करें जिसके अन्तर्गत उपरोक्त विषय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त थी। इस स्वीकृति में दशांया गई शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट निम्न है:–

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
1.	वनभूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	शर्त मंजूर
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	शर्त मंजूर
3.	**प्रतिपूरक वनीकरण:**	
क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 100 वृक्षों का वृक्षारोपण Compartment No Survey sheet No. 53E/2/SW, Range Nachan at Bassa, Village Bah Khnyari (DPF Halinu), Tehsil Chachiot Forest Division Nachan, District Mandi, Himachal Pradesh में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for (less than 1.00 ha) area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।। जहां तक व्यावहारिक, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन के बचे।	शर्त मंजूर

ख	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रति पमरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरीदरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन औरास्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जाएगी। प्रति पूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	शर्त मंजूर
4.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
क	इस सम्बंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ. सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 से 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवम पत्रांक 5-3/2011 – एफ.सी. (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.0576 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त मंजूर
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मंजूर
5.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	शर्त मंजूर
6.	एफ.आर.ए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मंजूर
7.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	शर्त मंजूर
8.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए. के तहत भूनि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर भूमि के प्रत्यावर्तन हेतू जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	शर्त मंजूर
9.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनत्तम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 06 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।	शर्त मंजूर

10.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	शर्त मंजूर
11.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएगे।	शर्त मंजूर
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार, उप्योगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय यदि लागू तो स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मंजूर
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बैना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान बिना नहीं बदला जाएगा।	शर्त मंजूर
14.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त मंजूर
16.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, पत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	शर्त मंजूर
17.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर
18.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों. विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त मंजूर
19.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मंजूर
20.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा प्रयोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जिवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतू दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मंजूर
21.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त मंजूर
22.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मंजूर

23.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018. के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मंजूर

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

प्रतिलिपि सहायक अभियंता जल शक्ति उप-मण्डल केलोधार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है/

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
1.	वनभूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय – : Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भ:– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25दिनांक14/01/2022.

संदर्भ : – क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफपी/02/29/2020/एफ सी/15 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	शर्त मंजूर

Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
at Gohar-175029.

UNDERTAKING

विषय - : Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25दिनांक14/01/2022.

क्रम संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण:	मंजूर/नामंजूर
3. क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 100 वृक्षों का वृक्षारोपण Compartment No Survey sheet No. 53E/2/SW, Range Nachan at Bassa, Village Bah Khnyari (DPF Halinu), Tehsil Chachiot Forest Division Nachan, District Mandi, Himachal Pradesh में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for (less than 1.00 ha) area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।। जहां तक व्यावहारिक, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों कोलगाया जाए तथा प्रजातियों की एकलप्लांटेशन के बचे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का पौधरोपण करने हेतू मु0 रू0 42609/- कैम्पा में RTGS on dated 08.09.2022 तथा 7457 ई चालान संख्या 11 दिनांक 22.02.2023 DDO Code 815 (0406-01-800-18-Other Miscellaneous receipts के अन्तर्गत जमा करवा दिए जा चुके है।
ख	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रति पमरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरीदरों पर प्रतिपूरक वनीकरणकी लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन औरास्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जाएगी। प्रति पूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	शर्त मंजूर

Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
at Gohar-175029.

UNDERTAKING

विषय : – **Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).**

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
4.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
क	इस सम्बंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.3.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ. सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 से 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवम पत्रांक 5–3/2011 – एफ.सी. (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.0576 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त मंजूर
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय – : Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भ:– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25दिनांक14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
5.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	शर्त मंजूर

Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
at Gohar-175029.

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
6.	एफ.आर.ए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – **Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).**

संदर्भ:– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
7.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय – : Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच.पी./09/36/2020/एफ सी/25दिनांक14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
8.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी. ए.के तहत भूनि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर भूमि के प्रत्यावर्तन हेतू जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	शर्त मंजूर

Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
at Gohar-175029.

UNDERTAKING

विषय - : Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25दिनांक14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
9.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनत्तम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 06 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।	शर्त मंजूर

Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
at Gohar-175029.

UNDERTAKING

विषय : – **Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).**

संदर्भः– **क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.**

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
10.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
11.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएगे।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भ:– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उप्योगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय यदि लागू तो स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – **Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).**

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बैना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान बिना नहीं बदला जाएगा।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
14.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – **Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).**

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
16.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, पत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भ:– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
17.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भ:– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
18.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एर्जेसियों. विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
19.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
20.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा प्रयोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जिवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतू दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग ।

UNDERTAKING

विषय : – **Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).**

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
21.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्ते	मंजूर/नामंजूर
22.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय : – Diversion of 0.0576 ha of forest land in favour of Executive Engineer, I & PH Division Thunag, Distt. Mandi, for the construction of AE Office at Kelodhar in Tehsil Chachiot, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Other/40164/2019).

संदर्भ:– क्षेत्रीय कार्यालय शिमला पत्र संख्या 8बी/एच. पी./09/36/2020/एफ सी/25 दिनांक 14/01/2022.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
23.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंवन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018. के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मंजूर

DIVISIONAL FOREST OFFICER
NACHAN FOREST DIVISION
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति मण्डल,
थुनाग।